377
14/9/12

खण्ड : 12

संख्या : 12, 13, 16

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(द्वादश सत्र)

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

सत्यमेव जयते

मंगलवार, दिनांक : **18 जुलाई 1989 ई०**

बुधवार, दिनांक : **19 जुलाई 1989 ई०**

सोमवार, दिनांक : **24 जुलाई 1989 ई०**

मंगलवार, तिथि 18 जुलाई, 1989 ई०

(अध्यक्ष महोदय आसन ग्रहण किये)

अध्यक्ष महोदय, अतः मेरी मांग है कि सरकार खेलारी सीमेंट फैक्टरी को ताला लगने से बचावे। इसी तरह मैं सारे मजदूर की समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में आग्रह है कि इस पर सरकार ध्यान दे नहीं तो अपराधकर्मी बढ़ रहे हैं पलामू में जिसके कारण बेरोजगारी है। अगर वहां की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया तो अपराध बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इतना ही कहकर में बज़ट का समर्थन करता हूं।

श्री सतीश चन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, समाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन देती है उसमें पहचान के लिये विचौलिया को रखा जाता है। इस प्रथा को समाप्त किया जाय और बैंक के माध्यम से, पोस्ट औफिस के माध्यम से पैसा दिलाया जाय ताकि गरीब को फायदा मिल सके। इस बात की घोषणा माननीय मंत्री अपने जबाब में देंगे।

सरकारी वक्तव्य

श्री महावीर पासवान : अध्यक्ष महोदय, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की मांग पर वाद-विवाद के क्रम में काफी संख्या में हमारे माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया और बहुत से मूल्यवान सुझाव दिये। साथ ही साथ जहां कहीं भी त्रुटि है, उसकी ओर उन्होंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। मैं कोशिश करूंगा कि जो कमी है, जहां पर त्रुटि दिखलायी गयी है,

उसको दुरूस्त करें और माननीय सदस्यों के द्वारा जो सुझाव दिया गया है, उस पर विचार करूंगा और जहां तक जनहित में होगा, उसको कार्यान्वित करने की कोशिश करूंगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों बहुत कुछ सुझाव दिये है, उनके बारे में बाद में कहूंगा। पहले विभाग की नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में कहूंगा । मैं सर्वप्रथम अपना यह पुनीत कर्त्तव्य समझता हूं कि विगत वित्तीय वर्ष के कार्य-कलापों और उपलब्धियों के बारे में चर्चा करूं।

जहां तक औद्योगिक संबंध का सवाल है, वर्ष 1988-89 में राज्य की श्रम स्थिति सामान्यतः शन्तिपूर्ण रही। उद्योगों में सौहार्दपूर्ण वातावरण एवं श्रम शान्ति बनी है। श्रम अशान्ति की छिटपुट घटनाएं, जिसमें विभागीय संसाधन तंत्र द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गयी, उन पर शीघ्र ही काबू पा लिया गया। वर्ष 1988-89 में हड़ताल तालाबंदी के कारण मानव दिनों की हानि में विगत वर्ष की अपेक्षा काफी कमी आयी है। राज्य के बंद पड़े कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठान जैसे रोहतास उद्योग पुंज, डालमियां नगर, अशोक पेपर मिल रामेश्वर नगर, बिहार कोटेन मिल फलुवारीशरीफ, मेसर्स एस० टी० पी० लि० लोदना, झरिया, मेसर्स जमडीहा, इंजीनियरिंग एवं फाउन्ड्री वर्क्स प्रा० लि०, धनबाद, बिहार ओविन एवं इंजीनियरिंग वर्क्स, कटिहार को पुनः चालू करने की दिशा में सरकार का आवश्यक प्रयास जारी है। आलोच्य वर्ष में कई महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों में समझौते कराये गये, जैसे आई० टी० सी० लि० मुंगेर, महालक्ष्मी फाइवर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज लि० ओरमांझी रांची, मेसर्स गार्डेन रिच सिप

बिल्डर्स एवं इंजिनियर्स लि० रांची आदि जिसके फलस्वरूप उनमें श्रम शान्ति कायम हुई एवं कामगार लाभान्वित हुए। आलोच्य वर्ष में कुल 169 पंचाटा निर्णय एवं 175 समझौता में क्रमशः 27 और 40 का कार्यावयन पूरा किया गया एवं शेष का कार्यावयन हेतु कार्रवाई जारी है।

माननीय मंत्री, आपका इस तरह पढ़कर बजट भाषाण नहीं देना है।

श्री महावीर पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण के क्रम में सरकार की जो नीति है, उसको बतला रहा हूं। जो कार्रवाई हुयी है और जो कार्रवाई की जा रही है, उसको बतला रहा हूं।

सरकार की जो नीति है उसको मानकर हम चलेंगे। अध्यक्ष महोदय, श्रमिक संघ अधिनियम 1926 के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 में 148 आवेदन निबंधनार्थ प्राप्त हुये, जिनमें 45 निबंधित किये गये, 12 आवेदन पत्रों को अस्वीकृत किया गया एवं शेष पर आवश्यक कार्रवाई कि जा रही है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो प्रतिवेदन दिया है उसको मैं चुनौती देता हूं उन्होंने अपने प्रतिवेदन के पेज 16 पर लिखा है कि राज्य के सभी विद्युत ताप घर के जितने भी ठेका मजदूर हैं उनको परमानेन्ट कर लिया गया हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां तीन ताप विद्युत ताप घर हैं-चन्दपुरा विद्युत ताप घर, बोकारो ताप घर और बोकरो ताप घर बी। इस साल जो इनके कार्यालय द्वारा जो अधिसूचना जारी किया गया हैं उसके बावजूद भी चन्द्रपुरा के सिर्फ 210 मजदूरों को ही लेने की

बात की गयी हैं। चन्द्रपुरा में भी बहुत से और मजदूरों को नहीं लिया गया हैं।

श्री महावीर पासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जों चुनौती दिया है उसको हम अलग से देख लेंगे यदि इस तरह की बात होगी तो उसकी हम जांच करा देंगे।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जो रिपोर्ट प्रसारित किया है 82, 83, और 84 का और उसमें जिन सारी बातों का जिर्क किया है जो आज तक हुआ ही नहीं है। ऐसा निकम्मा विभाग को आप क्यों रखे हुये हैं।

श्री महावीर पासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसको हम देख लेंगे। और उसे बाद हम माननीय सदस्य का अवगत करायेंगे।

अध्यक्ष : आप जो कह रहे हैं उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिये।

श्री डी० के० शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है कि बिहार में बिहार में जो ऐसे मजदूर हैं और जो परमानेन्ट नेचर के काम पर है, जैसा कि माननीय सदस्य श्री राजो सिंह ने कहा और माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह ने भी कहा है आप विधान सभा की एक समिति बन दीजिये कि बिहार में जब सारे प्रतिष्ठान है वह समिति उसकी जांच करे कि कितने परमानेन्ट नेचर के काम के एगेंस्ट काम कर रहे हैं उनमें से कितने को नियमित किया गया है कितने को नियमित नहीं किया गया हैं।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, कल जो संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव लाया नियमावली में संशोधन का उसमें तो आपको समिति बनाने का पावर है वह समाप्त हो रहा हैं।

श्री महावीर पासवान : अध्यक्ष महोदय, श्रमिक संघ अधिनियम के अंतर्गत निर्बंधित श्रमिक संघों का वर्ष 1986 का वार्षिक प्रतिवेद भारत सरकार को भेजा गया है । जिन श्रमिक संघों ने नियमानुसार वार्षिक प्रतिवेदन नहीं भेजा है, उनके विरुध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही हैं।

इस अवधि में स्वतंत्र पर्षद एवं राज्य मूल्यांकन एवं कार्यावयन समिति की एक-एक बैठक हुई जिसमें आन्तरिक विवाद एवं मान्यता संबंध क्रमशः 5 एवं 6 मामलों को निष्पादन किया गया।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसुत्रों के भाग-1 के अन्तर्गत इस समय में अब तक 62 नियोजनों को लाया गया हैं। जिनमें 59 नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरों को निर्धारण/पुनरीक्षण किया गया है तथा शेष 3 नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण हेतु कार्रवाई की जा रही हैं।

माननीय सदस्य पालित जी ने जो सुझाव दिया है हेन्डलूम और बुनकर लोगों के संबंध में कि उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है, उसके संबंध में माननीय सदस्य के सुंझाव के अनुकूल हम समिति बनाकर उसकी जांच करवा लेंगे।

अध्यक्ष : आप अपना भाषण पढ़ें।

श्री महावीर पासवान : अध्यक्ष महोदय, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यावयन की समीक्षा करने तथा निर्माण कार्य में

संलग्न विभागों द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसमें सभी कार्य विभागों के सचिव सदस्य के रूप में मनोनीत हैं।

कृषि नियोजन में न्यूनतम मजदूरी का कार्यावियन सुनिश्चित करने हेतु–

श्री जयकुमार पालित : आप हैंडलूम से संबंधित न्यूनतम मजदूरी के बारे में कहिये।

श्री महावीर पासवान : मैंने तो कहा कि कमिटी बनाकर निर्धारित करेंगे।

श्री हरखू झा : अध्यक्ष महोदय, जब सरकार का जवाब होता हैं। माननीय सदस्य अपना अपना सुझाव दे चुके हैं। जब सरकार जवाब दे रही है तो शांतिपूर्वक सुनना चाहिए।

श्री महावीर पासवान : अध्यक्ष महोदय, कृषि नियोजन में न्यूनतम मजदूरी का कार्यावियन सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। सभी प्रखंडों में श्रम निरीक्षकों की पदस्थापना की व्यवस्था है, जिन्हें जिलाधिकारी के सीधे नियंत्रण में रखा गया है । सभी क्षेत्रिय अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि 15 एकड़ उससे अधिक वाले नियोजकों की सूची तैयार कर न्यूनतम मजदूरी का कार्यावियन करावें ताकि इसका प्रभाव अन्य कृषकों पर पड़े। सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में कम मजदूरी देने वाले क्षेत्र की पहचान करें एवं उस क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर न्यूनतम मजदूरी का कार्यावियन करावें।

श्री भोला सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन नियम और परम्परा से चलता है और इस सदन में कोई भी विशिष्ट नहीं है- सभी सामान्य हैं, सभी विशिष्ट हैं। आप कोई ऐसी परम्परा नहीं लागू करें कि सदन के लिये बोझा बन जाय।

माननीय मंत्री भाषण देने में काबिल है और सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रीय स्तर के स्वर्गीय जग जीवन बाबू के बाद राष्ट्रीय स्तर के नेता है और सदन में श्रमिक आन्दोलन पर बाखूबी से बोल सकते हैं। सदन में पढ़ने की परम्परा नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री दुबारा भाषण करें और उनको पढ़ने के लिए नहीं कहें।

श्री महावीर पासवान : जहां धुंआधार भाषण देने की जरूरत होगी, वहां पर धुंआधार बोलेंगे, लेकिन जो तथ्य है उसको हाउस कुछ अगल से नहीं कह सकते है । तथ्य जो है उसको कहने दीजिये उसके बाद कहेंगे तो चार घंटा तक धुंआधार भाषण दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, भूमिहीन कृषि श्रमिकों की ग्रूप बीमा योजना।

भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए ग्रूप बीमा योजना दिनांक 15-8-87 से लागू की है। इस योजना के अन्तर्गत भूमिहीन कृषि मजदूर के परिवार के एक सदस्य को अनुमान्य है तथा बीमाकृत राशि 1,000/- रु० की होगी। इसका वार्षिक प्रिमियम का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाना है। इस योजना का कार्यान्वयन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाता है । श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग को इस योजना के कार्यावयन के लिए "नौडल विभाग घोषित किया गया है।

मंगलवार, तिथि 18 जुलाई, 1989 ई०

बिहार दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम

यह अधिनियम राज्य के 182 क्षेत्रों में लागू हैं। श्रम अधिनियम के अर्न्तगत वर्ष 1988-89 में 10,105 दूकानों एवं प्रतिष्ठानों का निबंधन किया गया। अब इसी अधिनियम के अर्न्तगत निबंधित दूकानों एवं प्रतिष्ठानों की संख्या 2,94,191 हैं। विगत वित्तीय वर्ष में निबंधन शुल्क के रूप में करीब 49103.50 पैसा तथा नवीकरण शुल्क के रूप में 162 रुपये प्राप्त हुआ हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत दोषी पाये नियोजकों के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में 5,393 मुकदमा दायर किया गया हैं।

बीड़ी सिगार अधिनियम 1966

इस अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित परिसरों की संख्या 12,717 है एवं इस उद्योग में नियोजित श्रमिकों की संख्या (घरैया मजदूर सहित) करीब 1.85 लाख हैं। आलोच्य वर्ष में 1012 परिसरों का निबंधन किया गया, 1280 परिसरों का निरीक्षण किया गया ।

बीड़ी मजदूरों के दशा सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है जिसमें आवासीय योजना की एक रूप रेखा तैयार कि गयी है। इस परियोजना के कार्यावयन हेतु प्रथम चरण में बीड़ी बाहुल्य क्षेत्रों में जैसे मुंगेर, नालन्दा समस्तीपुर, साहेबगंज एवं चाईवाशा का चयन किया गया हैं।

मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम 1961

वर्ष 1988-89 में इस अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित उपक्रमों की संख्या 4390 थी जिसमें नियोजित कर्मचारियों की

संख्या 16,395 रही। आलोच्य अवधि में निबंधन एवं नवीकरण शुल्क के रूप में रु० 17,09,002 की राजस्व प्राप्त हुई।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, कितने कालीदास है ये और इनके विभाग है। ये क्या बोलेंगे इसका उत्तर पहले से लिखकर ले आए है।

श्री महावीर पासवान : बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत प्रत्येक नियोजकों को न्यूनतम 8.33 की दर से चालु वर्ष के लिए बोनस का भुगतान अनिवार्य था एवं अधिकतम 20 प्रतिशत से अधिक नहीं। इस अधिनियम के अन्तर्गत दोषी पाए गए नियोजकों के विरूद्ध वर्ष 1989 तक 122 अभियोजन विभिन्न न्यायलयों में दायर किया गया हैं।

ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 के अर्न्तगत गठित राज्य परामर्शदातृ पर्षद् की अनुशंसा पर अब तक कई औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ठेका मजदूर के नियोजक प्रतिषिद्ध किया गया जैसा स्पीड क्राप्ट लि० फुलवारीशरीफ, टेल्को, जमशेदपुर, सारण इंजिनियरिंग कंपनी मढ़ौरा, बिहार एलाय स्टील लि० बालकुन्द्रा, सोन भैली पोर्टलैंड सिमेंट क० लि० जपला भारतीय खाद्य निगम, रामाकाष्ट लि० मोतिहारी एवं राज्य के सभी विद्युत तापघर।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कागज को हाथ में लेकर आंकड़ा वगैरह पढ़ें लेकिन आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं।

श्री महावीर पासवान : अध्यक्ष महोदय, बहुत-सी योजनाएं इस विभाग द्वारा चलायी जा रही है और हर के बारे में मैं दो तीन लाईन बोल रहा हूं, विस्तृत रूप में मैं नहीं बता रहा हूं। चूंकि मैं

सारी योजनाओं के बारे में चाहता हूं कि संक्षिप्त रूप में बतला दूं सदन को।

अध्यक्ष : इससे पहले भी लोगों ने बजट पास कराया हैं।

श्री महावीर पासवान : बिहार के लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि क्या-क्या विभाग द्वारा कार्रवाई या काम हो रहा हैं।

अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिए है मैं उनके संबंध में कहना चाहता हूं कि आबादी का दो प्रतिशत तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया था लेकिन इस रोक को 1985 में उठा लिया गया। पालित जी ने जो कहा उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि 1985 में ही उस रोक को उठा लिया गया है।

रद्द पेंशन की जांच करने की प्रक्रिया है वह तो चलती ही रहेगी। अनेक मामले मैं उसे पुनरूजीवित किया गया है और जो उपयुक्त पाए गए है उनकों चालू किया गया हैं।

अध्यक्ष : मंत्री महोदय आप बोलिये, बैठ क्यों गए ?

श्री महावीर पासवान : एक माननीय सदस्य ने देवघर में श्रम न्यायलय में पदाधिकारी के पदस्थापना का सवाल उठाया है तो मैं बताना चाहता हूं कि वैसे पदाधिकारियों की नियुक्ति का काम हो रहा है और बहुत जल्द देवघर में उनका पदस्थापन कर दिया जायगा। उनके पदस्थापन की व्यवस्था की जा रही हैं।

राजो बाबू ने चिन्ता व्यक्त की थी कि बिहार महिला समाज बोर्ड के कर्मचारियों को 20 महीने से तनख्वाह नहीं मिला है तो उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि उसका तनख्वाह 20

महीने से तनख्वाह 20 महीने से बंद नहीं हैं लेकिन उनलोगों का 20 महीने का वेतन बाकी हैं। सरकार शीघ्र ही उसके भुगतान की व्यवस्था करने जा रही है। मैं समझाता हूं कि बहुत जल्द इसका भुगतान का दिया जायगा।

उमाधर बाबू ने मांग की थी कि जो सीमान्त किसान हैं वे न्यूनतम मजदूरी नहीं दे पाते हैं, वे उसे देने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए सरकार उनको सबसिडी दे तो सरकार इस पर विचार करेंगी क्योंकि मैं भी समझता हूं कि उनके पास मात्र तीन चार एकड़ जमीन है, उनको भी कुछ समय के लिए मजदूरी देने की आवश्यकता होती है और वे देने में सक्षम नहीं है इसलिए सरकार इस पर विचार करेगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के संबंध में जहां-जहां से शिकायत आती है, शिकायतों की जांच करायी जाती है और सही पाने पर जांच कर जिनका पेंशन बंद हो गया है उसको चालू करा दिया जाता है। माननीय सदस्य ने जो इसकी शिकायत की है उसकी मैं जांच कराऊंगा और जिनका पेंशन बंद हो गया है उनका पेंशन चालू करा दिया जायगा।

श्री डी० के० शर्मा : ठीका मजदूरों के संबंध में कुछ कहें।

श्री महावीर पासवान : वृद्धावस्था पेंशन के बारे में जो दो प्रतिशत का बंधन था उसे 1985 में ही उठा लिया गया है और उसके तहत जांच चलती रहती है और जांच कर जिनलोगों का पेंशन बंद हो जाता है जांच कर सही पाने पर उनका पेंशन चालू करा दिया जाता हैं। अगर किसी माननीय सदस्य को कहीं के बारे

में कोई शिकायत हो तो वे अलग से मुझे लिखकर दें, मैं जांच कराकर जिनका पेंशन बन्द हो गया है सही पाने पर उनका पेंशन चालू करा देंगे।

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह : सरकार ने जो प्रगति प्रतिवेदन दिया है कि उसको मैं चैलेज करता हूं। इसलिए सभी पावर हाउस में मजदूरों को स्थायी कर दिया गया है लेकिन बोकारो ए० और बी० थर्मल पावर हाउस में मजदूरों को स्थायी नहीं किया गया हैं, चन्द्रपुरा थर्मल पावर के मजदूरों का स्थायीकरण नहीं हुआ है–इस प्रकार यह गलत है और सरकार ने ऐसा प्रगति प्रतिवेदन में लिख दिया हैं।

श्री महावीर पासवान : मैं इसकी जांच करा दूंगा।

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह : क्या आप सदन की समिति बनाकर जांच करायेंगे ?

श्री राजो सिंह : जब माननीय मंत्री ने जांच स्वीकार कर लिया है तो क्या वे श्रमायुक्त की अध्यक्षता में स्थानीय विधायकों को लेकर जांच कराएंगे ?

श्री महावीर पासवान : ठीक है, श्रमायुक्त की अध्यक्षता में जांच करा देंगे और स्थानीय जो दो–तीन विधायक हैं उनको भी इसकी खबर कर देंगे।

माननीय सदस्य श्री सरयू मिश्र जी ने कहा कि कटिहार जूट मिल में कुछ दिनों से लोगों को पेमेंट नहीं मिला है तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनके बकाए के भुगतान की कार्रवाई मैं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों से पहले ही कहा है कि दो प्रतिशत की पावंदी 1985 में ही उठा लिया गया है, लेकिन राज्य की जो वित्तीय स्थिति है उसके अनुसार ही स्वीकृति दी जायेगी। लेकिन माननीय सदस्यों ने जो कहा है उसे हम स्वयं देख लेंगे।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय मंत्री चाहते हैं तो लेबर कमिश्नर और उस क्षेत्र के दो-तीन विधायकों को रखकर जांच करा लें ?

श्री महावीर पासवान : ठीक है, मैं जांच करा दूंगा। कटिहार के बारे में भी मैं देख लूंगा कि वहां पेमेंट क्यों नहीं हुआ है। पेमेंट कराने की दिशा में मैं कार्रवाई कर दूंगा। खेलाड़ी सीमेंट फैक्टरी के बारे में कहा गया है कि बंद है तो मैं उसे भी देखूंगा कि क्यों बंद है। इसके बाद माननीय सदस्य श्री सतीश चन्द्र झा ने प्रश्न उठाया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान पास बुक के द्वारा कराया जाय। इसमें सरकार को एतराज नहीं होंगा। सदन की इच्छा है तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता पानेवाले को पास बुक बनवा दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे अपना कटौती का। प्रस्ताव वापस लें लें क्योंकि जो आप चाहते हैं और जो आपकी इच्छा है वह सरकार भी चाहती है । सरकार की वहीं इच्छा है लेकिन सरकार की जो वित्तीय स्थिति है उसके अनुसार ही चलना है और उसके अनुसार ही कार्रवाई होगी। माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लें लें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री उमाधर प्रसाद सिंह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री उमाधर प्रसाद सिंह : जी नहीं। सरकारी जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए मैं वापस नहीं लूंगा और सदन का बहिष्कार करता हूं।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

कि इस शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटायी जाय।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री उमाधर प्रसाद सिंह सदन से बाहर चले गये।)

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"श्रम और रोजगार" के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 31,86,26,500 (एकतीस करोड़, छियासी लाख, छब्बीस हजार, पांच सौ) रुपये से अधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह मांग स्वीकृत हुई।

अत्याधिक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण सूचनाऐं और उनपर सरकारी वकतव्य :

बच्ची गुड़ियाँ की अस्पातल में मृत्यु की जांच–

श्री दिलकेश्वर राम : माननीय विधायक श्री नलिनी रंजन सिंह तथा अन्य माननीय विधायकों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव